RCMS
2019/00124

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

अनिल कुमार बनाम अवतारसिंह आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 54 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.05.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 10.06.2019 नियत की गई है। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट चक 5 जी.एम. के मु.नं. 35 के कि.नं. 1/25 की 6.199है0 भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार है। रेस्पों. सं. 1 का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट ने अधी. न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया था। रेस्पों. सं. 1 अपीलांट की भूमि में जबरन कब्जा करना चाहता है जिसके सम्बन्ध में धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश किया। किन्तु अधी. न्यायालय ने कोई स्पष्ट आदेश पारित किये बिना ही प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिया। इसी प्रकार रेस्पों. सं. 1 ने अधी. न्यायालय में वाद व धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश किया जिसपर अधी. न्यायालय ने दिनांक 17.05.2019 को विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रख दी जबकि रेस्पों. का उक्त प्रकरण में कोई हक व अधिकार नहीं बनता। अधी. न्यायालय ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में अवतारसिंह के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया जबकि अनिल कुमार के प्रकरण में प्रा.पत्र दर्ज कर दिया। अधी. न्यायालय ने प्रकरण में दोहरी नीति अपनाई है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनिल कुमार द्वारा अधी. न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद पत्र 107, 116(3), 151 सीपीसी का पेश कर रखा है। अपीलांट द्वारा आर. आर.डी. 2011 पेज 83 का हवाला दिया और कथन किया कि अधी. न्यायालय को विधिवत आदेश पारित करना चाहिए था। इसी प्रकार आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 का हवाला दिया और हमारा ध्यान पैरा सं. 78(3) की ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार आर.आर.टी.2017(1) पेज 406 का हवाला देकर कथन किया कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सुनी जा सकती है और कथन किया कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे एवं तब तक स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये गये। अपीलांट द्वारा चक 5 जी.एम. के मु.नं. 35 के कि.नं. 1 से 25 की 6.199है0 भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। इसी भूमि के सम्बन्ध में अवतार सिंह द्वारा अधी. न्यायालय में दावा व 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया जिसमें दिनांक 17.05.2019 को एकतरफा तौर पर उक्त भूमि के सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी गई। इस प्रकार एक ही भूमि के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय द्वारा दोहरी नीति अपनाई गई है। पक्षकारों के मध्य परिवाद पत्र 107, 116(3), 151सीपीसी भी चला है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत आर.आर.टी. 2017(1) पेज 406 में यह प्रतिपादित किया गया है:–

" राज.काश्त.अधि.1955–धारा 212 विचारण न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया और नोटिस जारी किये तथा आगामी सुनवाई हेतु नियत की। आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है– यथावत स्थिति रखने का आदेश दिया– सम्पत्ति को सरक्षित रखना आवश्यक है– निर्णित आदेश में अवैधता पर प्रतिकूलता नहीं है "

आर.आर.टी. 2014(1) पेज 411 में पैरा सं. 78(3 व 4) में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जो दिशा निर्देश दिये हैं वह इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकार हैं:–

" 78(3) – The Appellate court is expected to examine as to whether its interference with the impugned order of the Trial Court will serve a justifiable purpose and curb the multiplicity of the proceedings between the parties. The Courts are meant to mitigate the hostilities between / amongst litigating parties, and they are not to add the fuel to fire. Therefore, their every action should aim at this objective."

"78(4)- The Appellate Court has to use its jurisdiction in a just and balanced manner. Indiscriminate and casual interference in the Trial Court's functioning by the Appellate Court is unwarranted. The Appellate Court should ensure that its stay order will not result in Court's protection to a wrong doer or will not lead to legal complications. "

आर.आर.डी. 2011 पेज 83 के पैरा सं. 12 में यह अंकित है:–

" अधी. न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा. पत्र को दर्ज रजिस्टर कर वास्ते सुनवाई हेतु 2 माह की तारीख पेशी नियत की गई। स्पष्टतया यह अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है तथा प्रार्थी के समक्ष इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प उपलब्ध है। प्रथम विचारण न्यायालय में ही जल्दी सुनवाई का प्रा.पत्र प्रस्तुत करना तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर विधिसम्मत आदेश प्राप्त करना। इस प्रकार धारा 230 राज.काश्त.अधि. के अन्तर्गत यह निगरानी पोषणीय नहीं है। इसी के पैरा सं. 16 में यह अंकित है कि हम जहां यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि अधी. न्यायालयों द्वारा पारित ऐसे अविवेकपूर्ण आदेशों के कारण राजस्व मण्डल में एक तरफ तो वादों की अधिकता हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गरीब अनपढ काश्तकार जिसे कानून का ज्ञान नहीं होता उसका अनावश्यक धन व समय व्यर्थ होता है तथा अधी. न्यायालयों में भी पक्षकारों के मध्य लम्बित वाद/ अपील की सुनवाई समय पर नहीं हो पाती।"

उक्त सभी न्यायिक दृष्टांतों की दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थी/अपीलांट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार एवं अधी. न्यायालय में धारा 188 के तहत स्थायी व्यादेश हेतु उपचार चाहा गया है। अप्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 अभिलिखित खातेदार नहीं है एवं अधी. न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणात्मक वाद उसी अधी. न्यायालय में दायर किया जिस पर अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2019 को एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचनात्मक व टिप्पणी के अभाव में अस्थाई व्यादेश अन्तरिम रूप से जारी किया। वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.06.2019 नियत की जिसमें अपीलार्थी ने व्यथीत होकर अधी. न्यायालय में उक्त वाद दिनांक 20.05.2019 को पेश किया जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर, अप्रार्थी को तलब कर आगामी पेशी 10.06.2019 नियत की गई है। उक्त आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा अधी. न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रस्तुत वाद में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवाद किया। चुंकि दोनों ही वाद पारस्परिक व समान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें आगामी तारीख पेशी क्रमशः 10.06.2019 व 17.06.2019 है। वकील अपीलांट द्वारा उपर प्रस्तुत की गई नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि उक्त मामला विशेष प्रकार का है। अपीलार्थी सन् 1998 से ही विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अधी. न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य का विवेचन करना चाहिए था तथा अस्थाई निषेधाज्ञा भले ही अन्तरिम कोटी की हो तो भी धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत एकपक्षीय रूप से जारी करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं पर अपना स्पष्ट मत मामले के विवेचन के पश्चात किया जाना चाहिए जोकि प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया है।

हम अपीलार्थी वकील की दलीलों व नजीरों से सहमत होते हुए मामले में सीमित रूप से अपील न्यायालय की हैसियत से हस्तक्षेप करने को उचित पाते हैं एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2019 जो एकतरफा तौर पर जो उपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों प्रकरणों को इकजायी करते हुए दिनांक 10.06.2019 को पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित किया जावे। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)